

प्रेमक,

श्री उमोद मांगुली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

[Handwritten signature]

सेवा में,

राज्य
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2 समुदाय केन्द्र,
प्रति विहार नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

तकनक: दिनांक: 31 अगस्त, 1994

विषय:- नोकुल पब्लिक स्कूल, मेरठ को सी०बी०एस०ई०/सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

अपूरुषा विषयक पर मुझे यह कलने का निदेश हुआ है कि नोकुल पब्लिक स्कूल मेरठ को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बन्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सीताइटी का तमय तमय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम दस प्रशिक्षित स्थाय अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहने और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संवालिता विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित हल्क से अधिक हल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से वैध शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोसिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्वाइवलेन्स नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्ता हो जायेगी ।
- 5- संस्था केविक एवं शिक्षणरत कर्मचारियों को राज्यीय तहयता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमय वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेगे ।

- 6- अंशक कर्मचारियों की सेवा की जायेगी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूची सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगा ।
- 7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर की भी जायेगी निम्न की जायेगी सेवा उनका पालन करेगी ।
- 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकाओं में रखा जायेगा ।
- 9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि विद्यालय में भवन शुल्क तथा प्रवेश शुल्क के मद में कोई अनराशि भविष्य में वसूल नहीं की जायेगी ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है उच्च पालन करने में किसी प्रकार की पुष्ट या निश्चिन्ता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त आपत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

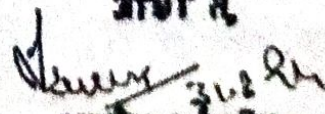
अनीक नागुनी ।
उप सचिव ।

पुणे 957611/15-7-1994 तद्विनिर्दिष्ट

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुपचार्य एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, नरनर ।
- 2- केन्द्रीय उप शिक्षा निदेशक, मेरठ ।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, मेरठ ।
- 4- निरीक्षक, आर्य समाज विद्यालय उत्तर प्रदेश, नरनर ।
- 5- प्रमुख, नौमुख वल्लभ स्कूल मेरठ ।

आपत है


अनीक नागुनी ।
उप सचिव ।